बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 381728 पटना, दिनांक 30/07/2018

ग्रा0वि07(सा0वा0)-01/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,

सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय:- **मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी अंतर्गत 1 से 10 अगस्त, 2018 तक "वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान" आयोजित करने के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि विभागीय पत्रांक- 372802 दिनांक- 02.06.2018 द्वारा मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्ग-निर्देश सभी जिलों को निर्गत किया गया है ।

इस क्रम में विभाग द्वारा मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी योजना अंतर्गत 01 से 10 अगस्त, 2018 तक जिला मुख्यालयों, सभी प्रखंडों यथासंभव सभी ग्राम पंचायतों में "**वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान"** आयोजित कर जिलों के लिए संसूचित लक्ष्य अनुसार 50 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है । उपर्युक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न निदेश अंकित किये जाते हैं :-

1. इस संदर्भ में जिलों को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु सामाजिक वानिकी का लक्ष्य संसूचित है। **(प्रसंग विभागीय पत्रांक-372802 दिनांक-02.06.2018)**।
2. सामाजिक वानिकी हेतु जिलों द्वारा तैयार योजना/लक्ष्य को **"वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान"** की अवधि यथा 1 से 10 अगस्त में पूरी कर ली जाए । उक्त के क्रम में स्वीकृत योजनाओं के आलोक में स्थल निरीक्षण, पौधों की आवश्यकता का आकलन तथा आपूर्ति, श्रमिकों का मस्टर रोल जेनरेशन, वृक्षारोपण, आदि का कार्य ससमय पूर्ण कर लिया जाए ।
3. उल्लेखनीय है कि पौधों की आपूर्ति के संबंध में दिशा-निर्गत पूर्व में निर्गत है परन्तु अधिकांश जिलों में वन विभाग के पास बैंक खाता नहीं होने की वजह से पौधों का मूल्य ऑनलाइन नहीं ले पाने के कारण पौधों की आपूर्ति होने में कठिनाई थी । वन विभाग में बैंक खाता की समस्या दूर हो गई है इसलिए पर्यावरण एवं वन विभाग की नर्सरी से पौधे प्राप्त किये जा सकते है । पर्यावरण एवं वन विभाग से पौधे की आपूर्ति की दशा में उनके द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया जाएगा । उप विकास आयुक्त द्वारा पौधों की आपूर्ति का आदेश वन प्रमंडल पदाधिकारी को दिया जा सकता है और वन प्रमंडल पदाधिकारी के संबंधित बैंक खाते में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा एफ टी ओ (FTO) कर राशि का भुगतान किया जा सकता है । वन विभाग की पौधशाला से परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय अथवा 2 (दो) रूपए प्रति पौधा अधिकतम व्यय किया जा सकता है ।
4. जिला मुख्यालय एवं प्रखंड स्तर पर (प्रखंड मुख्यालय या किसी एक ग्राम पंचायत के किसी एक स्थान पर) **"वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान"** कार्यक्रम के **मुख्य समारोह** का आयोजन किया जाए । प्रखंड के सभी पंचायतों में सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत ग्रामीणों के सहयोग से 01 से 10 अगस्त

तक लक्ष्य अनुसार वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किया जाए । सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्य यथासंभव ICRG द्वारा चिन्हित योजना स्थल पर भी सम्पादित किया जा सकता है ।

5. जिला मुख्यालय एवं प्रखंड स्तर पर किसी एक स्थान (प्रखंड मुख्यालय या किसी एक ग्राम पंचायत) पर **वन महोत्सव** कार्यक्रम के मुख्य समारोह स्थल का चयन एवं तिथि का निर्धारण जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जायेगा । इस संबंध में जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में करवाने का प्रयास किया जाये । इस अभियान के लिए जिला स्तर पर किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाये जो सघन वृक्षारोपण की प्रगति का अनुश्रवण कर जिला पदाधिकारी एवं विभाग को प्रतिदिन इसकी प्रगति से अवगत करायेंगे ।

6. कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सम्यक रूप से दायित्व निर्धारित किये जाए। उक्त के क्रम में प्रखण्ड अंतर्गत **"वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान"** कार्यक्रम के आयोजन करने की जवाबदेही संबंधित प्रखण्ड के कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी ।

7. प्रखंड के सभी पंचायतों में सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत पंचायत वार वृक्षारोपण कार्यक्रम की तिथि का निर्धारण कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रखंड का शत-प्रतिशत लक्ष्य 10 अगस्त तक प्राप्त हो सके । कनीय अभियंता / पंचायत तकनिकी पदाधिकारी को विभिन्न पंचायतों के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाए जो सम्बंधित पंचायतों के ग्रामीणों की भागीदारी एवं शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे ।

8. आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए । इस हेतु कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायक/सांसद को भाग लेने हेतु जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा औपचारिक तौर पर आमंत्रित किया जाए । साथ ही ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार डुग-डुगी इत्यादि के साथ किए जाए।

9. वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजन में Banner/Flex डिजाईन कर उपयोग किया जाये । सघन वृक्षारोपण अभियान में भी बैनर का उपयोग किया जाए । समारोह में वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ मानव जीवन को होने वाले लाभ के सम्बन्ध में आम जन को बताया जाए । कार्यक्रम के फोटोग्राफ Whatsapp Groups पर Share किये जाए ।

10. इस अभियान में जीविका के DPM, BPM के माध्यम से SHG को भी कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाये । साथ ही सभी स्थानीय विभागों के कर्मियों और विद्यालयों के छात्रों को भी अभियान में शामिल किया जाए ।

11. **"वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान"** समारोह :- (a) जिला स्तरीय समारोह के आयोजन हेतु अधिकतम व्यय 50,000/- रुपये (b) प्रखंड स्तरीय समारोह के आयोजन हेतु अधिकतम व्यय 20,000/- रुपये निर्धारित किया गया है जो मनरेगा के आकस्मिकता निधि से समायोजित किया जायेगा ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी अंतर्गत 01 से 10 अगस्त, 2018 तक **"वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान"** का सफलतापूर्वक आयोजन कर जिले के लिए वृक्षारोपण के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए ।

<u>अनु0-यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन

20/7/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

ज्ञापांक 381728 पटना/दिनांक 30/07/2018

ग्रा0वि07(सा0वा0)-01/2015

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है की सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को उप विकास आयुक्त के अनुरोध करने पर पौधे आपूर्ति करने का निदेश दिया जाए । उनका मूल्य कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा एफ टी ओ (FTO) कर वन प्रमंडल पदाधिकारी के बैंक खाते में भुगतान किया जा सकता है ।

30/7/2018

सचिव

ज्ञापांक 381728 पटना/दिनांक 30/07/2018

ग्रा0वि07(सा0वा0)-01/2015

प्रतिलिपि:- सभी जिलों के प्रभारी सचिव / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/7/2018

सचिव

ज्ञापांक 381728 पटना/दिनांक 30/07/2018

ग्रा0वि07(सा0वा0)-01/2015

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/7/2018

सचिव

ज्ञापांक 381728 पटना/दिनांक 30/07/2018

ग्रा0वि07(सा0वा0)-01/2015

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव /माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/7/2018

सचिव